**संख्या-599/2022/5064/41-2022-137 (बजट)/2020**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022**

**विषयः- जनपद अमरोहा स्थित शाह विलायत दरगाह के पर्यटन विकास कार्य की योजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4915/6-1-1(1261)/2020-21 दिनांक 07.10.2022 एवं पत्र संख्या-5837/6-1-1(1261)/2020-21 दिनांक 14.11.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत योजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-482/आई/104223/41-1002(001)/62/2021 दिनांक 06.10.2021 द्वारा जनपद अमरोहा स्थित शाह विलायत दरगाह के पर्यटन विकास कार्य की स्वीकृत योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अमरोहा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड अमरोहा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मुरादाबाद मण्डल।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in